संख्या ओ० एम०/आर/1-027/76,96

बिहार सरकार,

कार्मिक विभाग

(संघठन एवं पद्धति प्रशाखा)

सेवा में;

सरकार के सभी विभाग

सभी विभागाध्यक्ष

पटना, दिनांक 18 फरवरी, 1977।

विषय :—कार्यालय उपस्थिति में समय की पाबन्दी।

विलम्ब से कार्यालय में उपस्थित होने पर सरकारी सेवकों के विरुद्ध कौन-सी कार्रवाई की जाय इस सम्बन्ध में इस विभाग के ज्ञाप संख्या ओ० एम०/आर 1-2027/76-675, दिनांक 26 अगस्त, 1976 के द्वारा विस्तृत आदेश परिचारित किया गया है।

2. अधोहस्ताक्षरी को स्पष्ट करना है कि बिना पूर्व अनुमति, या सूचना, या छुट्टी की पूर्व-स्वीकृति के कार्यालय से अनुपस्थिति, या आदतन विलम्ब से उपस्थिति के मामलों में सक्षम प्राधिकारी की दण्ड की शक्ति प्रतिबंधित करने या अकस्मात उपस्थिति जाँच के ही दरम्यान अनुपस्थित पाने पर दंडित करने का उद्देश्य नहीं है। अकस्मात् जाँच में या उपस्थिति की नियमित दैनिक जाँच के फलस्वरूप सक्षम प्राधिकारी को नियमतः पूर्ण अधिकार है कि कार्यालय दक्षता एवं अनुशासन के हित में वे ऐसे मामलों में अपने विवेक का प्रयोग करते हुए जैसा उचित एवं आवश्यक समझें वैसा निर्णय करें एवं दण्ड का आदेश पारित करें।

विश्वासभाजन

(राम प्रकाश खन्ना)

मुख्य सचिव, बिहार।

संख्या ओ० एम०/आर०1-031/75/480

बिहार सरकार,

कार्मिक विभाग;

(संघठन एवं पद्धति प्रशाखा)

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव।

पटना, दिनांक 31 मई, 1976।

विषय :—राजपत्रित पदाधिकारियों एवं अराजपत्रित कर्मचारियों द्वारा बिना आवेदन की अनुपस्थिति या विलम्ब से उपस्थिति के सम्बन्ध में।

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के प्रसंग में मुझे कहना है कि विभागों द्वारा प्रस्तुत साप्ताहिक उपस्थिति विवरणी से ज्ञात होता है कि प्रत्येक सप्ताह में कुछ कर्मचारी बिना आवेदन के अनुपस्थित रहते हैं या विलम्ब से उपस्थित होते हैं। कहीं-कहीं कुछ राजपत्रित पदाधिकारी भी ऐसा गैर-मुनासिब आचरण बरतते हैं। इनके विरुद्ध विभाग द्वारा कौन-सी कार्रवाई की जाती है इसकी सूचना नहीं भेजी जाती है, यद्यपि कभी-कभी यह लिखा रहता है कि उनपर उचित कार्रवाई की जा रही है। यह जानना जरूरी है कि विभागों द्वारा ऐसे पदाधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जाती है।

अतः अनुरोध है कि किसी सप्ताह में बिना आवेदन के अनुपस्थित रहनेवाले एवं विलम्ब से उपस्थित होनेवाले पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध की गयी कार्रवाई की सूचना कृपया आप अपने अगले सप्ताह के निरीक्षण प्रतिवेदन के अग्रसारण पत्र में देने की कृपा करें।

विश्वासभाजन
(राम प्रकाश खन्ना)
मुख्य सचिव, बिहार।

कार्मिक विभाग

(संघठन एवं पद्धति प्रशाखा)

श्री राम प्रकाश खन्ना,
मुख्य सचिव, बिहार

पटसा;
दिनांक 4 जून, 76।

अर्द्ध-सरकारी पत्र संख्या ओ एम०/एम/-031/75 496 /

प्रिय.....

विषय—राजपत्रित पदाधिकारियों एवं अराजपत्रित कर्मचारियों की बिना आवेदन की अनुपस्थिति तथा विलम्ब से उपस्थिति के अनुपात में अधिकता।

सरकार की इच्छानुसार मुझे कहना है कि विगत कई सप्ताहों में विभिन्न विभागों से प्राप्त उपस्थिति प्रतिवेदनों की समीक्षा से यह प्रतीत होता है कि विलम्ब से उपस्थिति तथा बिना आवेदन की अनुपस्थिति का अनुपात आपके विभाग में बहुत अधिक है। इस प्रसंग में दिनांक 15-5-76 ई० के उपस्थिति प्रतिवेदनों से संकलित विवरण अनुलग्न है। अलग से मैंने सभी प्रधान सचिवों/सचिवों से यह अनुरोध किया है कि किसी सप्ताह में विलम्ब से उपस्थित होने वाले एवं बिना आवेदन के अनुपस्थित रहनेवाले पदाधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई की सूचना अगले सप्ताह के अनुपस्थिति-जाँच प्रतिवेदन के साथ भेजी जाय।

मैं आभारी रहूँगा यदि आप स्थिति में सुधार लाने के लिये आवश्यक कार्रवाई करें। इस प्रयोजनार्थ आप कृपया प्रत्येक मासिक विभागीय संघठन एवं पद्धति बैठक में प्रत्येक माह की उपस्थिति विवरणियों तथा बिलम्ब से उपस्थित होनेवाले एवं आवेदन दिये बिना अनुपस्थित रहनेवालों पर की गई कार्रवाई की समीक्षा करें। जरूरत इस बात की है कि सबों में समय की पाबन्दी बरतने की भावना उद्भावित हो, इस दिशा में सभी प्रयास किया जाय।

विश्वासभाजन
(राम प्रकाश खन्ना)

सेवा में,

	बिभाग	कुल लोक बल	बिना आवेदन की अनुपस्थिति (%)	बिलम्ब से उपस्थिति (%)
1.	वित्त (वाणि०) कर विभाग	186 (अराजपत्रित)	4.3	5.0
2.	कार्मिक विभाग	125 (")	——	12.9
3.	नदी घाटी योजना वि०	333 (")	——	7.7 (1 पदाधिकारी)
4.	वन विभाग	31 (")	——	12.9
5.	गृह (आरक्षी) बिहार वि०	13 (राजपत्रित)) 51 (अराजपत्रित)	——	5.9

6.	गृह (विशेष) विभाग	145 (अराजपत्रित)	——	8·2
7.	आपूर्त्ति विभाग	123 (")	9	10·57
8.	कल्याण विभाग	86 (अराजपत्रित)	——	4.6
9.	विधि विभाग	26 (राजपत्रित)	———	3·8
		101 (अराजपत्रित)	———	9.9
10.	मंत्रिमंडल सचिव (सामान्य शाखा)	32 (अराजपत्रित)	——	12,5
11.	राजभाषा सचिव०	28 (राजपत्रित)	3.5	18
		58 (अराजपत्रित	———	12
12.	स्वास्थ्य विभाग	2`4 (अराजपत्रित)	4.7	
13.	निबन्धन विभाग	30 (")	———	6.6
14.	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	93 (अराजपत्रित)	———	4·3
15.	लोक निर्माण विभाग	438 (अराजपत्रित)	——	3.2
16.	आवास विभाग	30	13.3	16

———

कार्मिक विभाग,

(संघटन एवं पद्धति प्रशाखा)

श्री राम प्रकाश खन्ना,
मुख्य सचिव, बिहार

पटना,
दिनांक 2 अप्रील, 76

अर्द्ध-सरकारी पत्र संख्या ओ० एम०/एम1–31/76 310

प्रिय श्री_____

विषय :—सचिवालय एवं सम्बद्ध कार्यालयों में पदाधिकारियों/कर्मचारियों की उपस्थिति की साप्ताहिक आकस्मिक जाँच।

इच्छानुसार मुझे कहना है कि मेरे द्वारा कई बार अनुरोध किए जाने के बावजूद सप्ताहान्त दिनांक 6-3-76, 20-3-76 एवं 27-3-76, यानी पिछले तीन सप्ताहान्तों के प्रतिवेदनों में कम-से-कम दो सप्ताहान्तों के प्रतिवेदन निम्नांकित विभागों से प्राप्त नहीं हुए :—राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग/योजना एवं विकास विभाग (ग्रामीण विकास)/कृषि एवं पशुपालन विभाग (कृषि)/कृषि एवं पशुपालन विभाग (पशुपालन)/कृषि एवं पशुपालन विभाग (सहकारिता)/विधि विभाग/गृह (कारा) विभाग/उत्पाद विभाग/निबंधन विभाग/स्वास्थ्य विभाग/मंत्रिमंडल (निर्वाचन) विभाग/जन सम्पर्क विभाग/पर्यटन विभाग/मंत्रिमंडल (सामान्य) विभाग/सिंचाई विभाग/नदी घाटी योजना विभाग/विद्युत विभाग/वस विभाग।

2—मैंने अ० स० पत्र संख्या 243 दिनांक 18-3-76 द्वारा यह स्पष्ट कर दिया था कि यदि प्रमुख सचिव यात्रा/अवकाश पर रहें, अथवा अन्य किसी कारण से स्वयं सप्ताह में एक बार आकस्मिक जाँच नहीं कर सके तो विभाग के अपर सचिव एवं अपर सचिव से उपरिस्थ किसी पदाधिकारी द्वारा जाँच करवाई जाय एवं प्रतिवेदन प्रत्येक सोमवार को अवश्य संघटन एवं पद्धति शाखा को भेज दिया जाय। मुझे खेद है कि इसके बाद भी ऊपर वर्णित विभागों से तीनों प्रतिवेदनों में से कम-से-कम दो प्रतिवेदन अप्राप्त रहे। कुछ विभागों के प्रतिवेदनों से यह मालूम होता है कि विभागीय प्रमुख सचिव, अथवा अपर सचिव या उनसे उपरिस्थ किसी पदाधिकारी द्वारा जाँच न कर कार्यालय की सामान्य उपस्थिति-पंजी जो प्रतिदिन निबंधक के पास जाती है, उसी से उठाकर आँकड़े प्रतिवेदित किए गए हैं। इससे वांछित उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है। इसके अतिरिक्त कुछ सप्ताहान्त प्रतिवेदन ठीक अगले सोमवार को न भेजकर कई एक दिन बाद मुझे उपलब्ध होता है। चूँकि मेरे द्वारा तबतक मुख्यमंत्री के पास समेकित विवरणी भेजी जा चुकी होती है, इसलिये विलम्ब से प्राप्त प्रतिवेदन से कोई लाभ नहीं होता।